उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
संख्या-(4 /2020)यू0ओ-29/35-आ0-2/2019
लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-खीरी हेतु बेसिक शिक्षा विभाग की 05 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का जनपद से जो आगणन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, वह पैक्सफेड का था, परन्तु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी आदेश संख्या-35/2019/154/35-3-2019-1(16)/2018, दिनांक 20 फरवरी, 2019 में उ.प्र.सहकारी विधायन एवं शीतग़ह संघ लि. (पैक्सफेड) के स्थान पर उ.प्र.राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. (पैकफेड) अंकित किया गया है। जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी के पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उक्त स्वीकृति आदेश में पैकफेड अंकित होते हुए भी धनराशि रू. 27.62 लाख पैक्सफेड के खाते में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, (नोडल अधिकारी) लखीमपुर-खीरी द्वारा दिनांक 02 मार्च, 2019 को अंतरित करायी गयी है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था का परिवर्तन एक गम्भीर अनियमितता है, जिस हेतु उ.प्र.सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार, शोध अधिकारी राज्य योजना आयोग तथा श्री सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्री आनन्द मिश्रा, निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, मुख्यालय, उ.प्र. लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- अत: श्री राज्यपाल की ओर से अनुमोदित आरोप-पत्र (दो प्रतियों में) को संलग्न कर प्रेषित करते हुए जांच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संलग्न आरोप-पत्र पर जांच अधिकारी की ओर से अपने हस्ताक्षर कर इसकी एक प्रति अपचारी अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दें तथा उनका लिखित उत्तर /स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रकरण की विधिवत जांच कर जांच आख्या 01 माह के अन्दर राज्य योजना आयोग अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- जांच अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि जांच अधिकारी दोष सिद्धि के बारे में आख्या दें, न कि दण्ड के बारे संस्तुति। जांच आख्या प्रेषित करते समय संबंधित अधिकारी का उत्तर/स्पष्टीकरण एवं आरोप से संबंधित साक्ष्य भी विभाग को मूलरूप से प्रेषित किया जाय।

संलग्नक: यथोक्ता

(आमोद कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-(4 /2020)यू0ओ-29/35-आ0-2/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री आनन्द मिश्रा, निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, उ.प्र. लखनऊ को आरोप पत्र की दो प्रतियों सहित ।
2. संबंधित अधिकारी श्री संजीव कुमार, शोध अधिकारी, राज्य योजना आयोग तथा श्री सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग द्वारा- जांच अधिकारी।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
संख्या- यू0ओ-29/35-आ0-2/2009- 30
लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी,2020

आरोप-पत्र

श्री सुनील कुमार वर्मा,
संयुक्त निदेशक,
राज्य योजना आयोग

राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात रहने की अवधि में आपके कार्यकलापों के आधार पर आपको निम्नवत आरोपित किया जाता है :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-खीरी हेतु बेसिक शिक्षा विभाग की 05 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का जनपद से जो आगणन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, वह पैक्सफेड का था, परन्तु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **रू. 27.62 लाख** संबंधी आदेश संख्या- 35/2019/154/35-3-2019-1(16)/2018 , दिनांक 20 फरवरी, 2019 में उ.प्र.सहकारी विधायन एवं शीतग़ह संघ लि. (पैक्सफेड) के स्थान पर उ.प्र.राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. (पैकफेड) अंकित किया गया है। जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी के पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उक्त स्वीकृति आदेश में पैकफेड अंकित होते हुए भी धनराशि रू. 27.62 लाख पैक्सफेड के खाते में दिनांक 02 मार्च, 2019 को अंतरित करायी गयी है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था का परिवर्तन एक गम्भीर अनियमितता है। आपका उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली- 1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

आरोप- पत्र के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय है :-

1. आदेश संख्या- 35/2019/154/35-3-2019-1(16)/2018 , दिनांक 20 फरवरी, 2019
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी के पत्र संख्या- 1062/बा.ए.डे.का./2019-20 दिनांक 21 नवम्बर, 2019

एतद्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि इस पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अपना लिखित उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त करा दें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा समुचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। इस संबंध में यदि आप स्वयं उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहते हैं तो उसका उल्लेख अपने लिखित उत्तर में करें। यदि आप किसी साक्षी का बयान चाहते हैं अथवा किसी साक्षी से जिरह करना चाहेते हैं , तो उसका नाम व पता उनके सम्भाव्य बयानों का सारांश अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत करें।

अनुमोदित

जॉच अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
संख्या- यू0ओ-29/35-आ0-2/2009- 30
लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी,2020

आरोप-पत्र

श्री संजीव कुमार,
शोध अधिकारी,
राज्य योजना आयोग

राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात रहने की अवधि में आपके कार्यकलापों के आधार पर आपको निम्नवत आरोपित किया जाता है :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-खीरी हेतु बेसिक शिक्षा विभाग की 05 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का जनपद से जो आगणन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, वह पैक्सफेड का था, परन्तु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति **रू. 27.62 लाख** संबंधी आदेश संख्या- 35/2019/154/35-3-2019-1(16)/2018 , दिनांक 20 फरवरी, 2019 में उ.प्र.सहकारी विधायन एवं शीतग़ह संघ लि. (पैक्सफेड) के स्थान पर उ.प्र.राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. (पैकफेड) अंकित किया गया है। जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी के पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उक्त स्वीकृति आदेश में पैकफेड अंकित होते हुए भी धनराशि रू. 27.62 लाख पैक्सफेड के खाते में दिनांक 02 मार्च, 2019 को अंतरित करायी गयी है। इस प्रकार कार्यदायी संस्था का परिवर्तन एक गम्भीर अनियमितता है। आपका उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली- 1956 के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

आरोप- पत्र के संबंध में निम्न साक्ष्य पठनीय है :-

1. आदेश संख्या- 35/2019/154/35-3-2019-1(16)/2018 , दिनांक 20 फरवरी, 2019
2. जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी के पत्र संख्या- 1062/बा.ए.डे.का./2019-20 दिनांक 21 नवम्बर, 2019

एतद्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि इस पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अपना लिखित उत्तर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त करा दें। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, तथा समुचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। इस संबंध में यदि आप स्वयं उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहते हैं तो उसका उल्लेख अपने लिखित उत्तर में करें। यदि आप किसी साक्षी का बयान चाहते हैं अथवा किसी साक्षी से जिरह करना चाहेते हैं , तो उसका नाम व पता उनके सम्भाव्य बयानों का सारांश अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत करें।

अनुमोदित

जॉच अधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।